न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 41/2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/187

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दीपाराम पुत्र श्री वागारामजी, जाति कुम्हार, निवासी गलथणी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली		1. सोनाराम तथाकथित गोदीपुत्र मकनाराम जाति देवासी निवासी गलथणी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली 2. ग्राम पंचायत एरनपुरा पंचायत समिति सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत एरनपुरा तहसील सुमेरपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह दहिया

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 11.01.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा अपनी मिसल संख्या 219/97–98 में पारित आदेश दिनांक 07.09.1999 प्रस्ताव संख्या 17 दिनांक 07.09.1999 की पालना में अप्रार्थी सोनाराम के पिता मकनाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1172 सभी को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत निगरानी संबंधी रेकर्ड तलब किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा मकनाराम के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया वो ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विधि विरुद्ध तरीके से अधिकार क्षेत्र के बाहर किया है। अतः निरस्त योग्य है। मौके पर प्रार्थी की भूमि कम है तथा रास्ते की भूमि पर दीपाराम द्वारा अतिक्रमण किया गया है जो सोनाराम के गोद के पिता को पट्टा विधि के प्रावधानों के विरुद्ध जारी किया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी के मकान की दक्षिण की तरफ मुकनाराम के रहवास की भूमि है। प्रार्थी के पट्टे की भूमि की दक्षिण की भुजा 62 फुट है। पूर्व की तरफ रास्ता है, उत्तर की तरफ रास्ता तथा पश्चिम में वेनाराम का मकान है। प्रार्थी के पिता वागाराम व जालाराम के नाम पट्टा 22.07.1977 का पट्टा संख्या 37 बना हुआ है तथा वे उस पर काबिज है। पीराराम द्वारा रास्ते की भूमि जो प्रार्थी व अप्रार्थी के परिसर के पूर्व की ओर है वर्तमान में आवागमन उत्तरी रास्ते से ही है। पीराराम अप्रार्थी के परिवार का ही सदस्य है। प्रार्थी के पास 62 फुट के स्थान पर दक्षिणी भुजा 52 फीट ही है जो नाप में कम है फिर भी अप्रार्थी के परिसर के पूर्व की तरफ अप्रार्थी [illegible] रहा है जो प्रार्थी के परिसर मकान के अन्दर बताकर वहां [illegible] है। अप्रार्थी अपना निकाल उत्तर की ओर [illegible] परिसर में बता रहा है व वही से रास्ता निकालना चाहता है जो न्यायोचित नहीं है। इसलिए अ[illegible] सोनाराम के पक्ष के जारी पट्टा निरस्त फरमाया जाये। मुख्य रूप से प[illegible] निकास गलत बताया गया है। इस बाबत् सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:46:02 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम पंचायत द्वारा 1281 वर्ग गज का पट्टा जारी किया गया है जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से निरस्त योग्य है। पट्टा मार्केट वेल्यू में आपसी बातचीत किए जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए भी जो नही की गई है। मात्र 200/—रूपये की कीमत में उक्त आराजी का पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टा आराजी भूखंड है पुश्तैनी मकान नहीं है। आदेशिका दिनांक 11.09.1999 पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है तथा आदेशिका 04.07.1998 के बाद 11.09.1999 की दर्ज की है तथा उनके हस्ताक्षर भी भिन्न—भिन्न है। आदेशिका एक ही स्याही से दर्ज सुदा है। पत्रावली पर 219/1997—98 दर्ज है परन्तु मिसल पर 14/7.09. 1999 दर्ज सुदा है। इस प्रकार दो पत्रावलिया होना दर्शित है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमी को रास्ता बताकर जारी किया गया है इसलिए पट्टा निरस्त योग्य होने से पट्टा निरस्त फरमाया जावे तथा पट्टे के उक्त पट्टे पर निरस्त का नोट अंकित करावे। निगरानी में म्याद का बिंदु आडे नहीं आता है क्योंकि इसमें म्याद का प्रावधान नहीं है। नियमानुसार कभी भी निगरानी पेश की जा सकती है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा मिसल कायम की गई है। तथा पट्टा मिसल में जारी आदेश व प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया है। अप्रार्थी को जारी पट्टे में निकासी द्वार उत्तर दिशा की तरफ है। इस प्रकार वास्तव में प्रार्थी के हक में जारी पट्टा सही नहीं है तथा यह अप्रार्थी के पट्टा खारिज का आधार भी नहीं हो सकता है। पत्रावली कायम की गई है। तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई जो पत्रावली पर है। नक्शा बना हुआ है। आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है तथा दो व्यक्तियों के बयान कलमबद्ध किए हुये है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रक्रिया का पालना नहीं हुआ है इसलिए पट्टा निरस्त फरमाया जावे। निगरानी लगभग 22 वर्षों बाद की गई जो समयावधि में नहीं की गई है तथा न हीं देरीना पेश करने का युक्तियुक्त कारण अंकित किया है। इसलिए निगरानी निरस्त योग्य है।

उभय पक्ष की बहस को सुना गया तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। इस निगरानी के संबंध में विचारणीय बिन्दु 2 है :—

1. क्या पट्टा रास्ते की जमीन में जारी किया गया है?
2. क्या पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है?

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा आबादी भूमि में जारी किया गया है तथा निगरानी कर्त्ता का कथन है कि पूर्व में जारी 1977 के पट्टे में उक्त स्थल में रास्ता बताया गया था परन्तु नवीन पट्टे में नहीं है परन्तु पट्टा उसी आराजी का प्रदान किया गया है निगरानी रिकोर्ड के अवलोकन से पाया कि पट्टा आराजी आबादी क्षेत्र में है तथा 20—22 वर्ष बाद मौके की स्थिति अनुसार जारी किया गया है, जो विधि अनुकूल है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इस प्रकार निगरानी कर्ता जैर निगरानी आराजी को रास्ते की भूमि है यह स्थापित अथवा साबित करने में असफल रहा है।

पत्रावली कायम की हुई है [illegible] के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी आदेशिकाएं अंकित है। नक्शा बना [illegible] है तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया [illegible] है तथा आपति इश्तिहार जारी किया गया तथा उसे सार्वजनिक स्थान पर चस्पा भी भी किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भी पत्रावली संलग्न है तथा आराजी का पट्टा बनाप 1287 वर्गफीट का जारी किया गया है न कि 1287 वर्गगज का जो विधिनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:46:02 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................3

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली.

अनुमत है। निगरानी के अध्ययन से एवं बहस के कथनों से प्रकरण में मुख्य विवाद निकासी एवं तथा रास्ते का प्रतीत होता है जिस हेतु विचारण के लिए यह न्यायालय सक्षम नहीं हैं इस न्यायालय की अधिकारिता से परे है। इसके लिए प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। इस न्यायालय को धारा 97 के तहत पट्टा जारी करने बाबत् शुद्धता, उचितता व नियमितता को देखना होता है जिसको निगरानी कर्ता साबित करने में असफल रहा है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती हैं एवं ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा अपनी मिसल संख्या 219/1997–98 में पारित आदेश एवं प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 07.09.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1172 दिनांक 07.09.1999 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:46:02 IST
Reason: SelfAttested